

राजस्थान सरकार
गृह (मुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1 (1) गृह-10/07

जयपुर, दिनांक 26/8/15

—:आज्ञा:—


राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-4 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:—

क्र. स.	नाम अधिकारी	पद एवं पद स्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्त तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
1	श्रीमति विमला लेखरा पत्नी श्री जगदीश लेखरा	उ0नि0अ0 जयपुर प्रथम पद के विरुद्ध	26.02.1956	29.02.2016	नियम 16 सी.सी.ए में जाँच लम्बित
2	श्री मदनलाल जेवरिया पुत्र श्री गुरु दयाल	स0नि0अ0 चित्तौडगढ़	01.03.1956	29.02.2016	—
3	श्री गिरिराज अग्रवाल पुत्र श्री सोहनलाल	स0नि0अ0 भीलवाडा	01.05.1956	30.04.2016	—
4	श्री मोहन सिंह राजपूत पुत्र श्री अमर सिंह	स0नि0अ0 धौलपुर	02.05.1956	31.05.2016	—
5	श्री प्यारेलाल जाटव पुत्र श्री रामकिशन	अ0लो0अ0 लक्ष्मणगढ़ अलवर	03.06.1956	30.06.2016	—
6	श्री प्रमोद कुमार बिहाणी पुत्र श्री सीताराम	स0नि0अ0 जैसलमेर	04.07.1956	31.07.2016	—
7	श्री चिम्नलाल भीणा, पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद	उ0नि0अ0 जयपुर द्वितीय	15.07.1956	31.07.2016	—

(1) क्रम संख्या 2 से 7 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1985 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(राजेंद्र सिंह चौधरी)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह(विधि)
एवं सयुक्त विधि परामर्शी

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, गृह।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/जांच) विभाग।
4. निदेशक पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक अभियोजन राज. जयपुर।
6. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वाचकरण) विभाग।
7. जिला कलक्टर, अलवर।
8. उप निदेशक अभियोजन जयपुर प्रथम/द्वितीय, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक अभियोजन, चित्तौडगढ़, भीलवाडा, धौलपुर, जैसलमेर।
10. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय।
11. संबंधित अधिकारी।
12. रक्षित/निजी पत्रावली।


(शम्भू दयाल प्रजापति)
अनुभागाधिकारी